

क्रम श्रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>भुनेश्वर राम पिता स्व० सोहर राम, निवास स्थान रामनगर रोड़, कदमा नं०-2, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-कदमा-11, थाना नं०-128, खाता संख्या-150, प्लॉट संख्या-273, रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि राजेन्द्र प्रसाद पिता स्व० मोती राम, निवास स्थान श्यामली निवास, रामनगर रोड़, शिवपुरी, थाना-हजारीबाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSO22037399 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-03/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 47/रा० दिनांक 06.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग के पत्रांक 403/अं० दिनांक 11.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग से प्राप्त प्रतिवेदानुसार -</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत मोहित सिंह पिता अभिलाख सिंह वगै० हैं। खतियान अनुसार धारित कुल रकवा 13.00 एकड़ भूमि है। चालू पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-196/XIII पर सोहर राम पिता पुनीत राम के नाम से खाता संख्या-150 कुल रकवा 60डी० भूमि का जमाबंदी कायम है। वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत एवं आवेदक में पिता-पुत्र का संबंध है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.20 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 0.14 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।</p>	

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
कार्रवाई के
दिप्पणी तारीख

2

3

प्रश्नगत भूमि का ड्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग द्वारा विक्रेता को छोटनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग के अनुशंसा के आलोक में भुनेश्वर राम पिता स्व0 सोहर राम, निवास स्थान रामनगर रोड, कदमा नं0-2, थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग को छोटनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-कदमा-11, थाना नं0-128, खाता संख्या-150, प्लॉट संख्या-273, रकबा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि राजेन्द्र प्रसाद पिता स्व0 मोती राम, निवास स्थान श्यामली निवास, रामनगर रोड, शिवपुरी, थाना-हजारीबाग, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।